राजनीति विज्ञान
ch-2

27/9/2022

PANKAJ
Page No.:
Date : / /

(i) कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में :—

⇒ कांग्रेस का जन्म सन् 1885 में हुआ था। उस समय यह पार्टी नवशिक्षित कामकाजी एवं व्यापारिक वर्गों का एक हितसमूह ही थी लेकिन 20 वीं शताब्दी में इस पार्टी ने एक जन आन्दोलन का रूप ले लिया।

⇒ भारत के स्वतंत्र होने तक कांग्रेस एक सतरंगे सामाजिक गठबंधन का रूप ले चुकी थी तथा वर्ग, जाति, धर्म, भाषा एवं अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन से भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व हो रहा था।

⇒ कांग्रेस पार्टी में 'क्रान्तिकारी व शान्तिवादी, कंजरवेटिव व रैडिकल, गरमपंथी व नरमपंथी, दक्षिण पंथी व वामपंथी के साथ-साथ प्रत्येक धारा के मध्यमार्गी सम्मिलित थे।

⇒ कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिसमें कई राजनीतिक दल एकत्रित होकर राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेते थे।

⇒ स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अनेक संगठनों एव पार्टियों को कांग्रेस में सम्मिलित रहने की अनुमति प्राप्त थी। निर्णय आम-सहमति से लिये जाते थे।

(ii) गुटों में तालमेल और सहनशीलता :—

⇒ कांग्रेस के गठबन्धनी स्वभाव ने उसे एक असाधारण शक्ति प्रदान की

⇒ चुनावी प्रतिस्पर्धाओं के प्रथम दशक में कांग्रेस ने शासक दल के साथ-साथ विपक्ष की भूमिका का भी निर्वाह किया। इस कारण भारतीय राजनीति के इस कालखण्ड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है।

Page No.:
Date: / /

(4.) विपक्षी पार्टियों का उद्भव :—

⇒ भारत में विपक्षी पार्टियों का भी जन्म हुआ। कई पार्टियों का निर्माण आम चुनावों से पहले ही हो चुका था।

⇒ सन् 1950 के दशक में विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभाओं में नाममात्र का प्रतिनिधित्व मिल पाया लेकिन इन दलों की उपस्थिति ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

⇒ विपक्षी पार्टियों ने शासक दल की सकारात्मक आलोचना कर उस पर अपना अंकुश बनाये रखा। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावनाओं को जीवित रखा।

⇒ स्वतंत्रता के पश्चात के शुरूआती वर्षों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के मध्य पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था जो दलगत प्रतिस्पर्धाओं के तीव्र होने के कारण लगातार कम होता चला गया।

★ **अनुच्छेद 356** :— यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है तो या फिर वहां सरकार का गठन में कोई समस्या आ रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है।